


77



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-छिंदवाडा

अपील/छिंदवाडा/अ.अ/2017/6134

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,  
सेहतगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)-- अपीलार्थी

विरुद्ध  
द्वारा आज दि. 18.12.17 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्कों हेतु  
दिनांक 11.1.18 नियत।

विरुद्ध

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता जबलपुर
- 3- जिला आबकारी अधिकारी जिला छिंदवाडा
- 4- जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन

--- प्रत्यर्थागण

कलेक्ट ऑफ कोर्ट फी  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/5381 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन द्वारा को वर्ष 2014-15 में जिला छिंदवाडा के प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/13-14/518 दिनांक 22.02.2014 से दी गयी थी।

यहकि, उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता जबलपुर के पत्र क्रमांक आब./ठेका /2016/2094 दिनांक 03.12.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला छिंदवाडा के अरविज छिंदवाडा, अमरवाडा एवं परासिया पर अवधि माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक काँच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह काँच की बोतलों में नहीं रखा गया है।

यहकि, उपरोक्त अनियमितताओं के लिये प्रदाय संविदाकार को कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2017-18/1544 दिनांक 07.04.2017 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। कि विदिशा जिले के स्टोरेज मध्यभाण्डागार छिंदवाडा, अमरवाडा एवं परासिया में आसवक के द्वारा निरन्तर आवश्यकता एवं मांग अनुसार प्रदाय दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्था सकुशल रही है। साथ ही शासन के राजस्व में अतिरिक्त भाग नहीं लाने हेतु जिला मध्यभाण्डागार छिंदवाडा, अमरवाडा एवं परासिया

अपीलार्थी की ओर से  
15/12/17

अपीलार्थी की ओर से  
15/12/17

शाखा प्रभारी (राजस्व)  
कार्यालय महाबिबकटा


3-

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक – एक/अपील/द्विवेदी/भा.सं./2017/6134

जिला – द्विवेदी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 15.12.2017 को पेश हुई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। विलंब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2017 की सूचना उन्हें 29.11.2017 को दी गई थी, परंतु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	